



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237178
CG-DL-E-07072022-237178

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2974]
No. 2974]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2022/आषाढ़ 16, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2022/ASHADHA 16, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2022

सं. 19 / 2015-2020

विषय : इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) की पंजीकरण समयावधि में संशोधन।

का.आ. 3124(अ)—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 और 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय-72 की नीतिगत शर्त सं. 04(ग), अध्याय-73 की नीतिगत शर्त सं. 03(ग) और अध्याय 86 की नीतिगत शर्त सं. 03(ग) में संशोधन करती है।

मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) में आयातकों को मर्दों के आयात हेतु ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा और सीआईएफ मूल्य के न्यूनतम 500 रु० और अधिकतम 1 लाख रुपये के अध्याय-72 के अध्याय-73 की नीतिगत शर्त सं. 03(ग) और अध्याय 86 की नीतिगत शर्त सं. 03(ग) में संशोधन करती है।	इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) में आयातकों को मर्दों के आयात हेतु ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा और सीआईएफ मूल्य के न्यूनतम 500 रु० और अधिकतम 1 लाख रुपये के अध्याय-72 के अध्याय-73 की नीतिगत शर्त सं. 03(ग) और अध्याय 86 की नीतिगत शर्त सं. 03(ग) में संशोधन करती है।

अनुमानित तिथि से अधिकतम 60 दिन पूर्व और कम से कम 15 दिन पूर्व पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रकार दी गई स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए मान्य होगी।	अनुमानित तिथि से अधिकतम 60 दिन पूर्व पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रकार दी गई स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए मान्य होगी।
--	---

2. **अधिसूचना का प्रभाव:** एसआईएमएस के तहत आयात खेप के आने की अनुमानित तिथि से कम-से-कम 15 दिनों के अग्रिम पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

[फा. सं. 01 / 89 / 180 / एमओएनआई-5852 / एएम-03 / पीसी-2(क) / ई-1663]

संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2022

No. 19 /2015-2020

Subject : Amendment in registration time period of Steel Import Monitoring System (SIMS).

S.O. 3124(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 & 9 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Policy condition No.04(c) of Chapter- 72, Policy Condition No. 03 (c) of Chapter-73 and Policy Condition No.03 (c) of Chapter-86 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS), 2022:

Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
The Steel Importing Monitoring System (SIMS) shall require importers to submit advance information in an online system for import of items and obtain an automatic Registration Number by paying registration fee of Rs. 1 per thousand subject to minimum of Rs. 500/ and maximum of Rs. 1 lakh on CIF value. The importer can apply for registration not earlier than 60th day and not later than 15th day before the expected date of arrival of import consignment. The automatic Registration Number thus granted shall remain valid for a period of 75 days.	The Steel Importing Monitoring System (SIMS) shall require importers to submit advance information in an online system for import of items and obtain an automatic Registration Number by paying registration fee of Rs. 1 per thousand subject to minimum of Rs. 500/ and maximum of Rs. 1 lakh on CIF value. The importer can apply for registration not earlier than 60th day before the expected date of arrival of import consignment. The automatic Registration Number thus granted shall remain valid for a period of 75 days.

2. **Effect of the Notification:** The requirement of advance registration of minimum 15 days from the expected date of arrival of import consignment under SIMS has been abolished.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/MONI-5852/AM-03/PC-2(A)/E-1663]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.